



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 532]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 29, 2008/आश्विन 7, 1930

No. 532]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 29, 2008/ASVINA 7, 1930

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2008

सा.का.नि. 699(अ).—केन्द्र सरकार, ऐतद्वारा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) को धारा 87 द्वारा प्रदत्त शासितयों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को पंजाब राज्य में वथा साग्. भूर्णी पंजाब सुदूर पुरस्कार (संशोधन) अधिनियम, 2006 (2006 का 15) का विस्तारण निम्नलिखित आशोधनों के अध्ययन संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ पर करती है, नामतः :—

आशोधन

धारा 1 में,—

- (क) उप-धारा (1) में “पूर्णी पंजाब सुदूर पुरस्कार (संशोधन) अधिनियम, 2006” शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर “संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ पर यथा विस्तारित पूर्णी पंजाब सुदूर पुरस्कार (संशोधन) अधिनियम, 2006” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;
- (ख) उप-धारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा रखी जाएगी, अधर्तु :—

“(2) यह सुरक्षा प्रवृत्त होगा।”

[फा. सं. यू-11020/2/2008-यूटीएस]

श्री. मामथी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

“New Delhi, the 29th September, 2008

G.S.R. 699(E).—In exercise of the powers conferred by Section 87 of the Punjab Reorganization Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby extends to the Union Territory of Chandigarh, the East Punjab War Awards (Amendment) Act, 2006 (15 of 2006), as in force in the State of Punjab on the date of publication of this notification, subject to the following modifications, namely :—

MODIFICATIONS

In Section 1,—

- (a) in sub-section (1), for the words, brackets and figures “the East Punjab War Awards (Amendment) Act, 2006”; the words, brackets and figures “the East Punjab War Awards (Amendment) Act, 2006, as extended to the Union Territory of Chandigarh” shall be substituted;
- (b) for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely :—

“(2) It shall come into force at once.”

[F. No. U-11020/2/2008-UTL]

B. BHAMATHI, Jt. Secy.